संख्या-15/2022/2056998/12-5002(099)/3/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 21 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0र0/1776/लेखा/पौध संर0/2020-21, दिनांक 28-02-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा योजना के मानक मद 49-चिकित्सा, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष, 56-नगर प्रतिकर भत्ता हेतु भुगतान में रू.28.26 लाख (रूपया अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर.ई. संख्या-519 , दिनाँक 15-03-2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) , प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) , प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) , कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल, का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

प्रपत्र बी0एम0-9

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (कृषि)

वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-11 2401 00 107 03 00 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
01-वेतन	10402.67	118.26	118.26	28.26	10374.41
योग	10402.67	118.26	118.26	28.26	10374.41
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-11 2401 00 107 03 00 2401-फसल कृषि कर्म 107-वनस्पति संरक्षण 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा					
49-चिकित्सा व्यय	60.00	170.00	110.00	20.00	80.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	8.21	8.21	8.21	8.21
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05
योग	60.00	178.26	118.26	28.26	88.26

(रूपया एक करोड़ अट्ठारह लाख छब्बीस हजार मात्र)

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है-

अ-वास्तविक माँग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- 49-चिकित्सा व्यय मद, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष, 56-नगर प्रतिकर भत्ता में वास्तविक माँग अधिक होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-भार0ई0-519/दस-1- दस-2020, दिनांक 15-03-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(अमर चन्द)
अनु सचिव
वि0प्र0 शासन

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2051446/12-5002(099)/2/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।